

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सोहनलाल पंवार बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार लूणी )</p> <p><b>सू.अ.अ. अपील संख्या 29 / 2020</b></p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>26.02.20</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सोहनलाल पंवार, पता गांव धींगाणा, पोस्ट गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.11.2019 में उसके द्वारा (1) तहसीलदार कार्यालय लूणी में कार्यरत समस्त कार्मिकों/अधिकारियों को सरकार/विभाग द्वारा सरकारी मोबाईल/सिम के नम्बरों की सूची व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.( तहसीलदार लूणी ) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार लूणी ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	